संख्या–103 / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0– I

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /
सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 21 जुलाई , 2022**

विषयः उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम–2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है।

2– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–7(3) मे प्राविधान किया गया है कि " विभागों द्वारा गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर सामग्री का क्रय किया जा सकता है। गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर सामग्री क्रय की जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी। " इसी क्रम में गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (GeM) के संबंध में वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षारित किया गया है।

3– उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों / निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम–149(समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है :–

1. जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें GeM पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।
2. क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने (reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर

क्रमशः 2 पर

मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने कय आदेश देंगे।

3. GFR के नियम–149 में निर्धारित प्राविधानों की सीमाएं केवल **GeM** पर कय हेतु होगी। अन्य विधियों से अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत नियमों के अधीन की जायेगी।
4. सामग्री व सेवाओं की आवश्यकता को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त कर कय नहीं किया जाएगा।
5. समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं की निविदाओं की प्रकिया पूर्ण होने पर पोर्टल में अनुबंध की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड कर उसे पूर्ण (**Close**) करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–7(3) में तद्नुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

4– कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–।, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

d:\manoj bisht\finace-7 year 2021\g.o letters\.docx